

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 18.11.2020

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल - 39 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. पप्पू सिंह पुत्र साधू सिंह नि० मो० कहरान कस्बा व थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 470 / 20, 02. शिवा सिंह पुत्र पप्पू सिंह नि० मो० कहरान कस्बा व थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 471 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

02. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सीमा पत्नी स्व० इन्द्रदेव नि० भौरहा थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 464 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

03. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अनन्तराम पुत्र रामचरन नि० बॉसगाँव टिकैतनगर जनपद बाराबंकी के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 349 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

04. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. ओमप्रकाश पासवान पुत्र जग प्रसाद नि० सोहास परसोहनी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 287 / 20, 02. ओम प्रकाश सोनकर पुत्र गया प्रसाद सोनकर नि० खिरई खिरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 288 / 20, 03. श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी रामसरन नि० ग्राम पिपरा मौजा भिठौरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 289 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

05. थाना को0देहात द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सजीवन पुत्र रामपाल यादव नि0 तिवारीपुरवा मौजा दुखेड़िया थाना को0देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 467 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा । बुधवार जनपद गोण्डा के थाना मनकापुर पुलिस ने गश्त के दौरान 01 अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त झिनके उर्फ कमल हसन पुत्र नूर अहमद उर्फ खेदरु नि0 दुदरहा तामापार थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 425 / 20, धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

थाना को0नगर पुलिस ने जुआ खेलते 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. राहुल पुत्र उमाशंकर सोनकर नि0 इमिलिया गुरुदयाल थाना को0नगर जनपद गोण्डा ।
02. अशोक कुमार पुत्र सव0 अलखराम नि0 इमिलिया गुरुदयाल थाना को0नगर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 887 / 20, धारा 13 जुआ अधिनियम थाना को0नगर जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. 52 ताश के पत्ते ।
02. 400 रुपये नगद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.11.2020 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति मझवां जानकीनगर के पास जुआ खेल रहे हैं कि उक्त मुखबिर की सूचना व निशानदेही पर उ0नि0 ऋषिकेष मणि त्रिपाठी मय हमराह फोर्स के मौके पर पहुँचकर उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व फड़ से रु0 400/- बरामद कर थाना को0नगर में 13 जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 ऋषिकेष मणि त्रिपाठी ।
02. का0 अंजय पटेल ।
03. का0 प्रद्युमन यादव ।
04. का0 अजय प्रताप ।
05. का0 अनुज कुमार ।

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सियाराम पुत्र रामधीरज नि0 बगिया मौजा परसिया रानी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 214 / 20, धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर ।

संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 18.11.2020 को थाना कौड़िया के थानाध्यक्ष मनोज सिंह मय पुलिस टीम के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को शान भट्टा परसियारानी के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कौड़िया में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. थानाध्यक्ष मनोज सिंह थाना कौड़िया ।

02. का0 आदित्य राय ।

03. का0 अरुण यादव ।

04. का0 अयोध्या प्रजापति ।